कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

'प्रेस–नोट'

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के आधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 में परिवर्तन किये गये हैं।

आयोग के निर्देशानुसार उक्त संशोधन दिनांक 1 अगस्त 2022 से लागू हो गये हैं, यह प्रक्रिया प्रदेश में दिनांक 1 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है। नवीन संशोधन अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त मतदाता जो पूर्व से जुड़े हैं उनसे फार्म 6(ख) मे आधार संग्रहण किया जाएगा तथा वे मतदाता जो पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं, उन्हें फार्म 6 में आधार की जानकारी देनी होगी। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य 11 दस्तावेजों :–

1. मनरेगा जॉब कार्ड
2. बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक
3. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड
4. ड्राइविंग लायसेन्स
5. पेन कार्ड
6. आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
7. भारतीय पासपोर्ट
8. पेंशन दस्तावेज
9. परिचय पत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी
10. एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी. का परिचय पत्र
11. परिचय पत्र, सामजिक न्याय 'भारत सरकार' द्वारा जारी

में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इस कार्य के प्रचार–प्रसार के लिए दिनांक 1 अगस्त 2022 को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक राज्य

स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित की गयी एवं बी.एल.ओ., अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा स्वयं के आधार नम्बर दर्ज किये गये। आज से आवेदन पत्र बी. एल.ओ. या ई.आर.ओ. को भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप्प, NVSP एवं वोटर पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी रखी गयी थी परंतु अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter List) में जुड़वाने की पात्रता होगी। 17+ की आयु के आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे। इस प्रकार अग्रीम आवेदन जमा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता पड़ती थी, उनमें भी संशोधन किया गया है तथा उन्हें सरल एवं सुविधा जनक बनाया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप–6, आधार संग्रहण हेतु प्रारूप–6(ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप–7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांग जन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु प्रारूप–8 निर्धारित किया गया है।

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ऐसे क्षेत्र जिनमें जनसंख्या के अनुपात अनुसार नाम कम जुड़े हैं तथा महिलाओं का प्रतिशत कम है, उन क्षेत्रों में स्वीप की गतिविधियाँ चलाई जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।